न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 41/2020
दायर दिनांक : 22/12/2020
निर्णय दिनांक : 18/12/2025

उनवान

1. गणेश पिता नन्दलाल जाट निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. दयाराम पिता नन्दलाल जाट निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मु0 प्रेमी पत्नि माधु जाट निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. दुर्गा उर्फ मंजू पिता माधु जाट निवासी जेवाणा त0 मावली हाल मुकाम कांकरवा
3. देवीलाल पिता माधु जाट निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री राजकुमार लड्ढा, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम कांकरवा तहसील भूपालसागर के 306 में स्थित आ0स0 3239 3240 3241 3242 3243 3246 3247 3268 3269 3270 3272 3277 3920 4946 बटा 3919 कुल किता 14 कुल रकबा 6.98 है0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या एक के 1/3 वादी संख्या दो के 1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत तीन तक के 1/3 हिस्से से खातेदारी से दर्ज होकर संयुक्त कब्जे काश्त में है। उक्त वादपत्र की कालम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का किसी प्रकार का कोई विभाजन नही हो रखा है इस कारण खातेदारान के मध्य सीमा व हिस्से संबंधित विवाद होने से अपना अपना हिस्सा अलग से दर्ज कराना चाहते है। दिनांक 05.06.2020 को भी खातेदारान के मध्य सीमा बाबत विवाद हुआ तब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन से निवेदन किया कि तहसील में चलकर विभाजन करवा लेते हैं, पर इसके लिए तैयार नही हुए। बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 05.06.2020 से पैदा होकर निरंतर पैदा जारी है। मालियात वाद तीन लाख रूपए कायम की जाती है।

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2022 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, कांकरवा के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1176 दिनांक 13.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

काश्तकार का नाम	खसरा	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
गणेश पुत्र नन्दराम जाट सा देह खातेदार रहन– बैंक आफ बडौदा, शाखा कांकरवा	3239/1	0.29	बी.1	0.87
	3239/2	0.07	बी.1	0.21
	324[illegible]	[illegible]	चाही 2	0.84
	3241	[illegible]	बी.1	0.81
	3242	[illegible]	चाही 2	9.24
	3246/1	[illegible]	चाही 2	[illegible]
	3268	[illegible]	चाही 2	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

	3969/1 3277 3920	0.02 0.30 0.50	चाही 4 बी.1 पेटा 1	0.28 0.90 9.56
योग	10	2.22	–	34.19
दयाराम पुत्र नन्दराम जाट सा देह खातेदार रहन– बैंक आफ बडौदा, शाखा कांकरवा	3246/3 3247/1 3269/3 3920/2	0.81 0.35 0.56 0.50	चाही 2 बा. ए चाही 4 पेटा 1	22.68 5.60 7.84 9.56
योग	4	2.22	–	45.68
देवीलाल पुत्र माधु 1/3 प्रेमी पत्नि माधु 1/3 दुर्गा पुत्री माधु 1/3 सा देह खातेदार रहन– बैंक आफ बडौदा, शाखा कांकरवा	3246/2 3247/2 3269/2 3277 3920/3	0.80 0.35 0.26 0.30 0.51	चाही 2 बा. ए चाही 4 बी 1 पेटा 1	22.40 5.60 3.64 0.90 9.57
योग	5	2.22	–	42.11
गणेश पुत्र नन्दराम 1/3 दयाराम पुत्र नन्दराम 1/3 दुर्गा पुत्री माधु 1/9 देवीलाल पुत्र माधु 1/9 प्रेमी पत्नि माधु 1/9 जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	3239/3 3243 3246/4 3270 3272 4946/3919	0.02 0.04 0.10 0.10 0.05 0.01	बी.1 खड्डा चाही 2 रास्ता आ0चा0 खड्डा	0.06 रास्ता उपयोग हेतु – 2.80 रास्ता उपयोग हेतु – – –
योग	6	0.32		2.86

उक्त आराजियात पर पूर्व में दर्ज रहन यथावत रहेगा। इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गागोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.05 18:25:31 IST
Reason: SelfAttested